



JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Science and Technology Campus)

Sirkha Toli, Namkum, Ranchi- 834010 (Jharkhand)

(Website- www.jutranchi.ac.in : Email Id-jut.academicsection@gmail.com)

पत्रांक:- *JUT-120/2025/Affiliation/1135*

/राँची, दिनांक:- *09/09/2025*

प्रेषक,

कुलसचिव (प्र०)
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

सेवा में,

The Principal,
Government Engineering College Godda,
Village-Chatra, P.S. - Poreyahat,
Godda, Jharkhand - 814153

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु संस्थान में संचालित स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के औपबंधिक संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु AICTE, New Delhi से प्राप्त EoA/LoA तथा विश्वविद्यालय के संबद्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में आपके संस्थान को AICTE, New Delhi द्वारा निर्गत EoA/LoA में अंकित पाठ्यक्रमों (निर्धारित शाखाओं के सीट संख्या सहित) क्रमशः (**B. Tech.** - Mechanical and Mechatronics Engg. (Additive Manufacturing) - 60, Electrical and Electronics Engg. - 60, Mining Engg. - 60) के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है:-

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित नामांकन शुल्क आदि Digitally प्राप्त किये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नये Syllabus को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयोगशाला/कर्मशाला में सभी आवश्यक मशीन उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।
3. पाठ्यक्रम संचालन हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानक (Norms) अनुसार आवश्यक Infrastructure तथा Facilities में जो भी त्रुटि/कमियाँ हैं, उसे हर हाल में तीन से छः माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाय।
4. AICTE के APH - 2024-25 में अंकित संस्थान स्तर पर गठित होने वाले सभी प्रकार के समिति/बोर्ड/स्ववायड आदि के गठन संबंधित पत्रों को संस्थान के Website पर डाला जाय एवं इसे समय-समय पर Update किया जाय।
5. विगत वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट संस्थान के Website पर रखा जाय। पुस्तकालय/प्रयोगशाला/कर्मशाला के मशीन उपकरण के क्रय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी आदि के भुगतान, संस्थान के भवन एवं परिसर के विकास एवं रख-रखाव आदि पर किये गये गत वर्ष के व्यय का सरांश तथा उससे संबंधित सभी प्रकार का अभिलेख संस्थान स्तर पर संघारित किया जायेगा ताकि उसे माँगे जाने पर तत्क्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वविद्यालय की टीम आवश्यकतानुसार किसी भी समय संस्थान का औचक निरीक्षण कर सकती है। प्रतिकूल निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति में विश्वविद्यालय अपने प्रदत्त औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घीकरण पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय ले सकता है।

Nishat Khanna
कुलसचिव (प्र०),
9/9/25

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

09/09/25